राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 18 / 2022

जीसीएमएस नम्बर – 2022 / 68

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र जयलाल नवीरा मामचन्द जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।

.... वादी

बनाम

1. जयलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
2. सुरेश कुमार पुत्र जयलाल नवीरा मामचन्द जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
3. रामरति पुत्री जयलाल नवीरा मामचन्द जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद आर्यनगर तहसील व जिला दादरी हरियाणा।
4. हसंकौर पुत्री जयलाल नवीरा मामचन्द जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना हाल आबाद आर्यनगर तहसील व जिला दादरी हरियाणा।
5. मुन्नी पुत्री जयलाल नवीरा मामचन्द जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना हाल आर्यनगर तहसील व जिला दादरी हरियाणा।
6. पपीता पत्नी करणसिंह नवीरा जयलाल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
7. अमित पुत्र करणसिंह नवीरा जयलाल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
8. नीतु पुत्री करणरसिंह करणसिंह नाबालिक जरिये माता पपीता पत्नी करणसिह नवीरा जयलाल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
9. निसु पुत्री करणरसिंह करणसिंह नाबालिक जरिये माता पपीता पत्नी करणसिह नवीरा जयलाल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।
10. उप पंजीयक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना त0 बुहाना

.... प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:21:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 29–06–2022

वादी की और से वाद पत्र निम्न प्रकार पेश है –

1. यह है कि ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2054–57 के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 है., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 287 रकबा 0.77 है., किता 3 कुल रकबा 6.71 है. भूमि के एकांकी खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का दादा व प्रतिवादी संख्या 1 का पिता एवं व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का परदादा मामचंद पुत्र कुरडा दर्ज रिकार्ड खातेदार कास्तकार है। इस प्रकार खातेदार मामचन्द पुत्र कुरडा के एक पुत्र जयलाल हुआं तथा जयलाल के तीन पुत्र सुरेश, कर्णसिंह, धर्मेन्द्र पैदा हुए व तीन पुत्रियां रामरति, हंसकौर व मुन्नी हुए। कर्णसिंह फौत हो चुके है। जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 है।
2. यह है कि वाद पत्र के खण्ड में वर्णित भूमि में वादी के दापदा मामचन्द पुत्र कुरडा के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 06–07–1998 दर्ज किया गया। जिसमें उक्त भूमि को वादी के पिता जयला, मामचद को एकांकी खातेदार कास्तकार दर्ज कर दिया है तभी से आज दिनांक तक वादी के पिता जयलाल एकांकी खातेदार दर्ज कर रखा है।
3. यह कि वादी के पिता ने अपनी पैत्तिक भूमि का बाहमी बंटवारा आज दिनांक से करीबन 20–25 पूर्व में ही कर दिया था उसने अपनी भूमि को अपनी सभी पुत्र व पुत्रियों को 1/7, 1/7 भाग में विभाजित कर दी थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 ने अपनी भूमि को अपने सभी भाईयों के पा में तर्क कर दिया। इसलिए वादपत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी 2/7 भाग व प्रतिवादी संख्या2 का 2/7 भाग व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का 2/7 व 1/7 भाग प्रतिवादी संख्या1 ने स्वयं कास्त हेतु अपने पास ही रख ली थी।
4. यह कि वादी के पिता ने अपनी पैत्तिक भूमि का मौके पर तो विभाजन कर दिया परन्तु खातेदारी अपने नाम से दर्ज नही रहने दी। चुंकि वर्तमान में वादी का पिता 82 वर्ष कर वृद्व व्यक्ति हो चुका है। जिसकी इम्प्द्रिश सही ढंग से काम नही कर रही है तथा वह अपने भले बुरे के बारे में सोच व समझ नही सकता है वह प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के बहकावे में आकार अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि का बेचान करना चाहता है जो सभी अपने अपने पुत्रों के विभाजन कर बंटवारा के रूप में दे रखी है।
5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 व 6 लगायत 9 के साथ रहता है। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 लगायत 9 चालाक प्रवृति के व्यक्ति है प्रतिवादी संख्या 1 वृद्व व्यक्ति है उसे अपने सही व गलत का अहसास नही है।प्रतिवादी संख्या 2, 6 लगायत 9 प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्वता का फायदा उठाकर वादी के हिस्से की भूमि का बेचान करवाना चाहते है। जबकि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतिक भूमि है। हिन्दु उत्तराधिकार के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति कों अपनी पैतिक सम्पति में अपने हिस्से से ज्यादा बेचान करने का कोई [illegible] अधिकार [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 व 6 लगायत 9 प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्व अवस्था [illegible] उठाकर वादी के 2/7 भाग का बेचान कर देते है तो वादी को अपूर्तनीय क्षति [illegible] मुद्रा में मुल्यांकन नही किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क) कि वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2054–57 के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 हैं., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 287 रकबा 0.77 है., किता 3 कुल रकबा 6.71 है. में वादी को 2/7 भाग का खातेदार कास्तकार धोषित किया जावें।

(ख) वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2054–57 के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 हैं., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 287 रकबा 0.77 है., किता 3 कुल रकबा 6.71 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि दौराने वाद वर्णित भूमि के किसी भी हिस्से का रहन, दान, बेचान आदि न करें तथा प्रतिवादी संख्या 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज को तस्दीक ना करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादी सं0 2 से 9 ने इकबालिये जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया । इनकी ओर से श्री प्रविन्द्रसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बाबजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं0 2 ल0 9 ने इकबालिये जबाव दावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश है :–

(क) वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2054–57 के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 हैं., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 287 रकबा 0.77 है., किता 3 कुल रकबा 6.71 है. में प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 को 1/7, प्रतिदावाकर्ता संख्या 2 को 2/7, तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 को 3/7 हिस्से का खातेदार दर्ज कर खातेदार धोषित किया जावें।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिदावा का जबाव पेश नही करना चाहते है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के अधिवक्ता द्वारा अपना प्रतिदावा वापस विड्रा कर अपना अनुतोष वापस लिया गया।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 जमबांदी सं. 2054–57 प्रदर्श– 3, जमाबंदी सं. 2050–53 प्रदर्श– 4, जमाबंदी सं. 2066–69 प्रदर्श– 5, जमाबंदी सं. 2012 प्रदर्श– 6, शपथ पत्र पी.डब्लू डी –1 धर्मेन्द्र पेश किए गए।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वाद वर्णित भूमि पैतिक भूमि है तथा पैतिक भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण भूमि पर खातेदारी हक अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी श्री मामचन्द पुत्र कुरडा के नाम दर्ज रिकार्ड है। मामचन्द के पश्चात वर्तमान में वादी, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के दादा प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:21:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1 नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 2 से 9 ने लिखित इकबालिये जवाब पेश कर वाद वर्णित भूमि में अपने हिस्से की धोषणा चाहा है। वादी ने चाहे गए अनुतोष को सुसंगत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों से साबित किया है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। परिणाामतः वादी वाद पत्र के माध्यम से चाहे गए अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लालामाण्डी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 हैं., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 287 रकबा 0.77 है., किता 3 कुल रकबा 6.71 है. भूमि में वादी को 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी यथावत् रहेगी। तदानुसार तहसीलदार बुहाना राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 29–06–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः–

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 18 / 2022
निर्णय दिनांकः– 29–06–2022

धर्मेन्द्र **बनाम** जयलाल आदि

दावा– धोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

वांदी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 2 से 9 की ओर से **श्री प्रविन्द्रसिंह एडवोकेट** की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख 29/6/22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारें के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लालामाण्डी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 हैं., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 287 रकबा 0.77 है., किता 3 कुल रकबा 6.71 है. भूमि में वादी को 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी यथावत् रहेगी। तदानुसार तहसीलदार बुहाना राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **29–06–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested